न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

(५)

पंचायत रिविजन संख्या:— 49 / 2017
दायर दिनांक :— 01.11..2017
निर्णय दिनांक :— 19.02.2018

अनवान

1 नूरजहां बानो पत्नि इयुश मोहम्मद उर्फ युसूफ मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ताल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2 फरीद मोहम्मद पिता इयुश मोहम्मद उर्फ युसूफ मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ताल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
3 खलील मोहम्मद पिता इयुश मोहम्मद उर्फ युसूफ मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ताल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
4 मुस्ताक अली पिता इयुश मोहम्मद उर्फ युसूफ मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ताल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
5 फिरोज मोहम्मद पिता इयुश मोहम्मद उर्फ युसूफ मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ताल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण / निगराकार

बनाम

1 सत्तार मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद जाति मुसलमान निवसी ताल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2 ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत ताल पंचायत समिति देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
3 सरपंच ग्राम पंचायत ताल पंचायत समिति देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

विपक्षीगण / गैर निगराकार

अपील अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम

उपस्थित :—

1—श्री प्रजीत तिवारी, ,अधिवक्ता प्रार्थीगण / निगराकार
2—श्री अब्दूल हकीम चुडीगर, अधिवक्ता ,विपक्षीगण / गैर निगराकार

—:: निर्णय ::

प्रार्थी / निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में निवेदन किया हैं कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत ताल द्वारा दिनांक 13.02.1972 को इयूश मोहम्मद उर्फ युसुफ मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद के नाम एक पटटा जारी किया गया था। उक्त पटटे को प्राप्त कर निगराकार पटटेशुदा भूखण्ड पर काबिज रहा फिर रेस्पोडेण्ट सख्या 01 अपीलार्थीगण का देवर व चाचा होने पर भूखण्ड अपना बताकर पंचायत के साथ मिलीभगत कर गैर कानूनी रूप से पुनः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का पटटा जारी करा लिया जबकि निगराकार के पति व पिता इयुस

मोहम्मद उर्फ युसूफ मोहम्मद को दिनांक 13.02.1972 को पटटा जारी किया गया था। उक्त भूखण्ड का पुनः दिनांक 28.07.2017 को सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत ताल द्वारा सत्तार मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद के नाम पटटा जारी कर दिया गया। जबकि इयूश मोहम्मद उर्फ युसुफ मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद को जारी पटटा वर्तमान में भी अस्तित्व में है। ग्राम पंचायत द्वारा उसे निरस्त नही किया गया है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पटटा न्याय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होकर प्रथम दृष्टया ही काबिल निरस्त है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी के पक्ष में जारी पटटा दिनांक 28.02. 2017 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस सूचित किया गया एवं अधिनस्थ ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थीगण/निगराकार के अधिवक्ता द्वारा बहस में अवगत कराय कि निगराकार संख्या 1 से अन्त तक सभी मृतक इयूश मोहम्मद उर्फ युसुफ मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद के विधिक वारिस हैं । निगराकार के पति व पिता जो कि इयूश मोहम्मद उर्फ युसुफ मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद निवासी ताल तहसील देवगढ के स्थायी निवासी थे का स्वर्गवास दिनांक 07.05.2016 को हो गया था । निगराकार के पति व पिता इयूश मोहम्मद उर्फ युसुफ मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद रेस्पोडेण्ट सख्या 1 के सगे भाई है। निगराकार के देवर व चाचा को ग्राम पंचायत ताल द्वारा एक पटटा जो की पूर्व में ग्राम पंचायत ताल द्वारा इयूश मोहम्मद उर्फ युसुफ मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद को जारी किया गया था। जो कि रूपया 61/—अचरे इक्सठ रूपये में प्राप्त कर दिनांक 13.02.1972 को जारी कर प्रदान किया गया है। उक्त पटटे के पडौस निम्नानुसार हैः—

पूर्वः— नाप 51 फिट पडत पंचायत अमरनाथ का पडौस

पश्चिमः— नाप 50 फिट लक्ष्मणसिंह का प्लाट

उत्तरः— नाप 50 फिट आम रास्ता

दक्षिणः— नाप 50 फिट पडत पंचायत

उकत पटटे को प्राप्त कर निगराकार उक्त वर्णित पटटेशुदा भूखण्ड पर काबिज रहा फिर रेस्पोडेण्ट सख्या 1 अपीलार्थगण का देवर व चाचा होने पर भूखण्ड अपना बताकर पंचायत के साथ मिलिभगत कर गैर कानूनीरूप से पुनः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड का पटटा जारी करा लिया । जबकि निगराकार के पति व पिता इयूश मोहम्मद उर्फ युसुफ मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद को दिनांक 13.02.1972 को पटटा जारी कर दिया गया था। रेस्पोडेण्ट सख्या 1 अभी कुछ समय से सभी को यह कहता हुआ फिर रहा है। कि जो पटटेशुदा भूखण्ड इयूश मोहम्मद उर्फ युसुफ मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद को ग्राम पंचायत ताल द्वारा प्रदान किया गया था। वह निलामी में मैने पंचयत से खरीद लिया । निगराकार को जब इसकी जानकारी प्राप्त हुई तो इन सभी निगराकार ने कार्यालय ग्राम पंचायत ताल से वर्तमान की उक्त पटटे की जानकारी चाही तो दिनांक 28.07.2017 को सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत ताल द्वारा अपने

(6)

हस्ताक्षर द्वारा एक पत्र जारी कर निगराकार को प्रदान किया । जिसमें लिखा है कि पुनः वर्तमान पटटा सत्तार मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद को जारी कर दिया गया । इस पत्र से स्पष्ट हो गया कि वास्तव में जो बाते सत्तार मोहम्मद पिता नूर मोहम्द कह रहा है,वह सत्य है। निगराकर के पति व पिता इयूश मोहम्मद उर्फ युसुफ मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद बीमार थे व उनसे ग्राम पचंयत ताल ने न तो मौखिक न ही लिखित जानकारी मांगी ,पर्दे के पीछे गलत तरीके से व विधि विरूद्व तरीके से उक्त वर्णित भूखण्ड को पुनः सत्तार मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद को पटटा जारी कर दिया गया । जबकि इयूश मोहम्मद उर्फ युसुफ मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद का पटटा वर्तमान में भी अस्तित्व में है,ग्राम पंचायत द्वारा उसे निरस्त नहीं किया गया है। पंचायत ने सत्तार मोहम्मद पिता नूर मोहम्द को पटटा जारी करते हुए डयू प्रोसेस के सिद्वान्त का पालन भी नहीं किया व गलत तरीके व गैर विधिक प्रकिया को अपनाते हुऐ निगराकार के स्वत्व,वमित्व आधिपत्य के पटटे के स्थान पर गलत तरीके से पुनः पटटा जारी कर दिया है। जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 च 3 को ऐसा करने का काननून कोई अधिकार नहीं हे। एक ही भूखण्ड के किसी भी सूरत में दो पटटे जारी नहीं किये जा सकते हैं ऐसा कर रेस्पोडेण्ट सख्या 1 से अन्त तक ने विधि विरूद्व कार्य किया है। अतः पुनः सत्तार मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद को जारी किया गया पटटा निरस्त फरमाया जावे तथा दिनांक 13.02.1972 के पटटे को स्थिति में लाया जावे व पुनःनिगराकार जो कि इयूश मोहम्मद उर्फ युसुफ मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद के वारिस है। के नाम पटटा जारी किया जावे। सत्तार मोहम्मद के नाम पर जारी पटटा निरस्त किया जावे। : प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जावे ।

अधिवक्ता विपक्षीगण/गैर निगराकार ने अपनी लिखित जबाव व बहस में अवगत कराया कि ग्राम पंचायत ताल द्वारा मृतक इयूश मोहम्मद उर्फ युसुफ मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद को पटटा प्रदान किया गया है। मुतक रेस्पोडेण्ट का सगा भाई था। रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने मृतक इयूश मोहम्मद उर्फ युसुफ मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद को आवंटित भूखण्ड के पश्चिम दिशा में सिथत भूखण्ड जो कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक के कब्जे आधिपत्य का था उस भूखण्ड का नियमानुसार आवेदन कर अन्तर्गत नियम 157 (1) के तहत पुराने कब्जे के विनियमितिकरण के तहत नियमानुसार पटटा प्राप्त किया है। इस पटटे की पुश्त पर इयूश मोहम्मद उर्फ युसुफ मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद का मकान पूव्र पडौस के रूप में दर्शित कर रखा है। इस प्रकार अपीलाण्ट के मृतक पिता इयूश मोहम्मद उर्फ युसुफ मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद ने दिनांक 13.02.1972 को जा पटटा प्राप्त किया वह मकान रेस्पोडेण्ट सख्या एक के पूर्व में स्थित हैं ओर दोनों ही मकान अलग अलग है। निगराकार के मकान का तथाकथित पटटा अलग भुखण्ड का हैं तथा दिनांक 28.07.2017 को सरपंच एवं सचिव ने अपने हस्ताक्षर से जो पत्र लिखा उसमें पुनः वर्तमान पटटा जारी करना लिखा है। लेकिन उन्होने अपने पत्र में यह कहीं नहीं लिखा हैं कि एक ही मकान का दुबारा पटटा जारी किया गया है। रेस्पोडेण्ट संख्या एक को ग्राम पंचायत ने विधि सम्मत कार्यवाही करते हुये पटटा जारी किया गया है। वर्ष 1972 को इयूश मोहम्मद उर्फ युसुफ मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद को रेस्पोडेण्ट

संख्या एक को प्राप्त पटटे के पूर्व में स्थित मकान का पटटा दिया गया है। अपील अथवा निगारानी में वाद हैतुक नहीं होता है। दिनांक 28.07.2017 का कोई आदेश नहीं हैं केवल मात्र एक सूचना है यह सूचना न तो अपील योग्य हैं न ही निगरानी योग्य है। पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्व अपील पंचायत समिति में होती हैं आप न्यायालय को नहीं है। अधिवकता रेस्पोडेण्ट ने अपने लिखित जबाब में विशेष कथन लिखे है:–

1.यह कि निगराकर ने यह निगरानी पेश की है या अपील सम्पूर्ण मैमों को पढने से स्पष्ट नही हो रहा है। कि इसे अपील माना जाये या निगरानी। निगराकार ने शीर्षक में अपील अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम लिख हैं जबकि धारा 97 पंचायत राज अधिनियम में अपील के प्रावधान नहीं है,केवल मात्र निगरानी के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है।

2.यह कि निगारान अथवा अपील किसी आदेश अथवा निर्णय के विरूद्व की जाती है लेकित प्रस्तुत कर्ता अपीलार्थीगण जिन्हें नीचे निगराकार दर्शित किया गया है ने ग्राम पंचायत ताल के किसी आदेश की निगरानी अथवा अपील की हैं दर्शित नहीं हैं । न ही अधिनस्थ ग्राम पंचायत ताल को इस कार्यवाही में पक्षकार बनाया गया हैं जिस कारण भी यह स्वीकार योग्य नहीं है।

3.यह कि ग्राम पंचायत पदेन सचिव अथवा सरपंच अपने आप में ग्राम पंचायत नहीं होते है।

4.यह कि अपील निर्णय के विरूद्व की जाती है। लेकित मैमो में ऐसे किसी आदो/निर्णय का उल्लेख नहीं है और यदि यह निगरानी है तो ग्राम पंचायत की कौनसी अनियमितता रही हैं एवं किस ओदा के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की हैं उल्लेख नहीं होने से यह अपील अथवा निगरानी पूर्णतः दोष पूर्ण होने से काबिल खारिज हैं

5.यह कि अपीलाण्ट ने अपने इस अपील मैमो की कालम संख्या तीन में जो पडौस दर्शा रखा है। उन पडोसो मध्य का कोई दूबारा पटटा ग्राम पंचायत द्वारा जारी नहीं किया गया है। रेस्पोडेण्ट सख्यां एक को जो पटटा दिया गया हैं वह उसक स्वयं के कब्जे अधिपत्य के मकान का दिया है। जो अपीलाण्ट के मकान से भिन्न मकान है। एवे रेसपोडेण्ट सख्या एक सत्तार मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद को दिनांक 22.03.2013 को जो पटटा दिया गया है। उस पटटे की पुश्त पर पडौस का वर्णन दर्शित हैं इससे भी स्पष्ट हैं कि युसुफ मोहम्मद का माकान रेस्पोडेण्ट सख्यां एक के मकान के पूर्व दिशा में स्थित हैं इस प्रकार अपीलाण्ट ने अकारण ही बिना जानकारी प्राप्त किय यह गलत अपील अथवा निगरानी प्रस्तुत कर दी है। सन 1972 का पटटा अलग मकान का हैं एवं दिनांक 22.03.2013 को जारी पटटा अलग मकान का है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा कोई अनियमितता नही की गई है। जिस कारण अपील अथवा निगरानी सारहीन है। अपीलाण्ट अथवा निगकराकार ने बिना जानकारी के ही यह निगरानी अपील प्रस्तुत कर दी है। अतः निगराकार की निगरानी अस्वीकार फरमाई जावे।

उभय पक्ष की व गैर निगराकार की बहस पर गहन मनन किया जाकर प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया व पत्रावली

(7)

पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया । ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये दोनों पटटे सम्भवतया अलग अलग प्रतीत होते है। दोनो पटटो के पडौस व नाप भी अलग अलग दर्शाये गये है। निगराकार द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी पत्र दिनांक 28.07.2017 के विरूद्व यह निगरानी पेश कि गई हैं जबकि यह पटटा नहीं है। जबकि इयुश मोहम्मद को जारी पटटा दिनांक 13.02.1972 एवं सत्तार मोहम्मद को जारी पटटा दिनांक 22.03.2013 है। इस प्रकार दिनांक 28.07.2017 को कोई पटटा जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निगराकार /प्रार्थी का प्रार्थना पत्र /अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण/निगकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका/अपील अस्वीकार की जाती है।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 19.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द